न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह)

राजस्व वाद सं. 348/2018
अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
धन्नाराम पुत्र तुलछाराम, जाति–जाट, नि0 भोमासर(तारातरा) तह0 चौहटन जिला बाडमेर।		1. सुआकंवर पत्नी हाकमसिह 2. निम्बूकंवर पत्नी निम्बसिह 3. टीपूकंवर पत्नि मानसिह जातियान–राजपुत, नि0बांदरा तह0 बाडमेर 4. पूरसिंह पुत्र धन्नसिंह 5. देवीसिंह पुत्र धन्नसिह जाति राजपुत(सोढा) नि0 आसाडी 6. सुरसिह पुत्र बागसिह 7. चुतरसिंह पुत्र बागसिंह 8. कोजराजसिह पुत्र बागसिंह 9. जयसिह पुत्र बागसिह 10. चैनसिंह पुत्र बागसिंह 11. नखतसिह पुत्र बागसिह जाति– राजपुत, नि0 चेतरोडी तह0 गडरारोड़ 12. इन्द्रसिह पुत्र तगसिह, जाति–राजपुत, नि0 सहला, चेतरोडी तह0 गडरारोड़ 13. केसरकंवर पत्नि शेरसिंह, जाति–राजपुत, नि0 आसाडी तह0 गडरारोड़ 14. प्रयागसिंह पुत्र अगरसिह 15. खंगारसिह पुत्र अगरसिह जाति– राजपुत, नि0 गिराब 16. पूरसिह पुत्र आम्बसिह 17. देवीसिंह पुत्र शैतानसिह 18. बालकंवर पत्नि शैतानसिंह 19. सगतसिह पुत्र मंगलसिंह जाति–राजपुत, नि0 गिराब तह0 गडरारोड़ 20. सुखसिंह पुत्र जोरसिह जाति–राजपुरोहित नि0 गिराब, तह0 गडरारोड़ 21. गुणेशाराम पुत्र रासाराम, जाति–मेघवाल नि0 भू का पार तह0 गडरारोड़ 22. सखीराम पुत्र पीथाराम 23. चुतराराम पुत्र पीथाराम 24. शैम्भूराम पुत्र पीथाराम 25. सतीदेवीप पुत्र पीथारम जाति–मेघवाल, नि0भू का पार, तह0 गडरारोड़ 26. सुखराम पुत्र पोकरराम

उपखण्ड अधिकारी शिव

Scanned by CamScanner

	27. चेतनराम पुत्र पोकरराम 28. मादू पत्नि पोकरराम जाति–मेघवाल, नि0 भू का पार तह0 गडरारोड़ 29. तहसीलदार गडरारोड़ जिला बाडमेर।

उपस्थित :–

1. श्री जेठाराम कुमावत वकील प्रार्थी
2. श्री दलपतसिंह सिसौदिया वकील विप्राथीनी सं 1 से 3
3. श्री दुर्जनसिंह राठौड़ वकील विप्रार्थी सं 13
4. तहसीलदार गडरारोड़।

निर्णय

दिनांक :–11/9/17

संक्षेप मे आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 664/141 रकबा 85.11 बीघा विप्रार्थी संख्या 1 की खसरा नम्बर 769/664 रकबा 36.00 बीघा एंव विप्रार्थीनी संख्या 3 की खसरा नम्बर 768/664 रकबा 36.00 बीघा ग्राम आसाडी सिघियान मे अवास्थित है। इसी ग्राम की खसर नम्बर 767/664 रकबा 36.00 बीघा भूमि जो पहले विप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी मे दर्ज थी, वर्तमान मे जरिये नामान्तरकरण संख्या 322 दिनांक 7.02.17 राज्य सरकार के नाम दर्ज हुई। प्रार्थी एवं विप्रार्थीनी संख्या 1 व 3 धारित रकबानुसार अपनी अपनी भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। विप्रार्थी संख्या 4 से 28 मूल खसरा नम्बर 664 से विभक्त होकर बने खसरों के खातेदार होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है, किन्तु न तो उनसे कोई अनुतोष चाहा गया है और न प्रस्तावित दुरूस्ती से उनकी खातेदारी भूमि प्रभावित हो रही है। राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 664/141, 769/664, 768/664, 767/664 व 85.11, 36.00, 36.00, 36.00 का रकबा तो सही दर्ज हुआ किन्तु लट्ठा नक्शा मे तरमीम वास्ताविक कब्जा स्थिति से भिन्न कर दी गई। अतः प्रार्थी ने आवेदन के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट अ अनुसार अपनी खातदारी भूमि खसरा नम्बर 664/141 बरंग लाल से दरसाये मुताबिक तरमीम दुरूस्ती किये जाने हेतु निवेदन किया है।

आवेदन पंजीयन कर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई। विप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से वकील श्री दलपतसिंह सियोदिया ने इकबाली जवाब प्रस्तुत कर आवेदन क तथ्यों को स्वीकार करते हुए माफिक आवेदन के संलग्न नक्शा परिशिष्ट अ अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने मे अपनी सहमति व्यक्त की । विप्रार्थी संख्या 29 तहसीलदार गडरारोड़ ने अदालत द्वारा तलब की गई और हल्का पटवारी आसाडी द्वारा तैयार की गई मौक रिपोर्ट के संलग्न नक्शे मे दरसाये अनुसार विवादित भूमि की तरमीम दुरूस्ती किये जाने हेतु निवेदन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर हल्का पटवारी आसाडी से विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट तलब की गई।

प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य मे ग्राम आसाडी सिधियान के खसरा नम्बर 664/141 रकबा 85.11 बीघा की जमाबंदी संवत् 2069–72 व खसरा नम्बर 767/664 रकबा 36.00 बीघा जो वर्तमान में राज्य सरकार के नाम दर्ज है की जमाबंदी प्रस्तावित तरमीम स्थिति व नजरी नक्शा परिशिष्ट अ तथा विप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा पृथक पृथक बेचानों के जरिये कय की गई भूमि के बेचानपत्र की प्रतियां प्रस्तुत की। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मूल खसरा नम्बर 664 एवं उससे विभक्त होकर बने खसरा नम्बर 664/141, 769/664, 768/664 व 767/664 का राजस्व रिकार्ड मे धारित रकबानुसार सही इन्द्राज हो गया, किन्तु लट्ठा नक्शा मे तरमीम वास्ताविक कब्जा स्थिति से

उपखण्ड अधिकारी शिव

Scanned by CamScanner

अलग कर दी गई, जिससे एक के कब्जे की भूमि दूसरे के तरमीमशुद्वा स्थान पर आ गई, जिससे दोनों पक्षों के मध्य विवाद की स्थिति आ गई है। वास्तव मे उक्त खसरों के खातेदार हल्का पटवारी आसाडी द्वारा मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रेषित नक्शे में दरसाये अनुसार मौके पर काबिज है तथा अपने–अपने कब्जे की भूमि पर कश्त करते आ रहे है। अतः मौका स्थिति एवं नक्शा स्थिति की एक रूपता बनाये रखने हेतु लट्ठा नक्शा में तरमीम दुरूस्त करने के आदेश फरमावें।

वकील विप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने भी अपनी बहस में माफिक मौका रिपोर्ट कब्जा काश्त होना मानते हुए लट्ठा नक्शा में तरमीम दुरूस्ती किये जाने में अपनी सहमती व्यक्त की है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौका रिपोर्ट का गम्भरीतापूर्वक अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शे पे पृथक पृथक बंरग से दरसाये अनुसार कब्जा स्थिति होना मानते हुए दोनो पक्ष, जिसमें तहसीलदार गडरारोड़ भी शामिल है, तदनुसार लट्ठा नक्शा मे तरमीम दुरूस्त किये जाने हेतु सहमत है। चूंकि प्रस्तावित दुरूस्ती से किसी भी खातेदार द्वारा घोषित नक्शे मे कोई कमी पेशी नहीं हो रही है और इससे नक्शा स्थिति व कब्जा स्थिति में एकरूपता आयेगी। ऐसी सूरत मे मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा में पृथक पृथक बरंग से दरसाये अनुासर विवादित भूमि की तरमीम दुरस्त किये जाने मे कोई आपति प्रतीत नहीं होती है।

लीहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम आसाडी सिधियान तहसील गडरारोड़ क मूल खसरा नम्बर 664 से विभक्त होकर बने खसरा नम्बर 664/141 रकबा 85.11 बीघा, तथा खसरा नम्बर 769/664, 768/664 व 767/664 रकबा प्रत्येक का 36.00, 36.00, 36.00, 36.00 बीघा भूमि की लट्ठा नक्शा मे विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए पटवारी हल्का आसाडी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शे में दरसाये अनुसार दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है।
तहसीलदार गडरारोड़ को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। पटवारी हल्का आसाडी द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा इस आदेश का अंभिन्न अंग रहेगा।

आदेश दिनांक 11.09.2019 को सरे इजलाश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.15 14:20:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: